

पॉलिसी के स्वामित्व में परिवर्तन

पॉलिसी क्रमांक

जीवन बीमित व्यक्ति का पूरा नाम <input type="text"/> अधिवादन <input type="text"/> प्रथम नाम <input type="text"/> उपनाम
मृतक प्रस्तावक का पूरा नाम <input type="text"/> अधिवादन <input type="text"/> प्रथम नाम <input type="text"/> उपनाम

दिशा-निर्देश

- स्वामित्व में परिवर्तन सिर्फ़ प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में ही स्वीकारणीय है (यानी जहाँ जीवन बीमित और प्रस्तावक दो अलग लोग हैं) या जब अवयस्क जीवन बीमित वयस्क हो जाता है.
- एक बीमा पॉलिसी का प्रस्तावक, पॉलिसी का मालिक होता है (उसे पॉलिसीधारक भी कहा जाता है) जो इसके तहत कोई लाभ पाने के लिए अधिकृत होता है, और उसे पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी लेनदेनकर्ते का अधिकार होता है. इसलिए, इस दृष्टि से, एक प्रस्तावक की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप पॉलिसी उसकी संपत्ति का हिस्सा बन जाती है.
- इस प्रपत्र को भरना और जमा किया जाना कम्पनी को उपरोक्त पॉलिसी के लिए नए मालिक को अभिलेखित किए जाने में मदद करेगा.
- इस प्रपत्र को सभी श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है.
- श्रेणी -I के कानूनी उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति के सत्रिकट परिवारिक सदस्य हैं. उदाहरण के लिए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, एक पुरुष के कानूनी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, बच्चे और उसकी माँ हैं.
- उस स्थिति में जब जीवन बीमित नया मालिक चुना जाता है तो कम्पनी को नामांकन को अभिलेखित करने में सक्षम बनाने के लिए कृपया एक अलग नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करें.
- सभी लाभ/अधिकार पॉलिसी के अधीन कथित परिस्थितियों के अधीन हैं.
- जहाँ जीवन बीमित अल्प वयस्क है, नया मालिक पॉलिसी का तब तक मालिक रहेगा जब तक कि जीवन बीमित वयस्क नहीं हो जाता.
- सभी भावी संवाद नए मालिक के नाम पर भेजे जाएंगे.

घोषणा

जीवन बीमित वयस्क अवयस्क है

यदि ऊपर वयस्क चुना जाता है, तो निम्नांकित जानकारी भरना आवश्यक नहीं. जीवन बीमित पॉलिसी का नया मालिक होगा.

यदि ऊपर अवयस्क चुना जाता है, तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र को भरना जारी रखें :

प्रस्तावक की मृत्यु D D M M Y Y Y Y को हो गई है और उपरोक्त पॉलिसी उनकी संपत्ति का एक हिस्सा बन चुकी है. हम घोषणा और कथन करते हैं कि सिर्फ़ हम ही श्रेणी -I के उत्तराधिकारी हैं जो उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं.

हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमें श्री/सुश्री _____ के उपरोक्त पॉलिसी के पूर्ण रूप से मालिक बनने पर कोई आपत्ति नहीं है. हम जानते हैं कि नए मालिक के पास इसके बाद उपरोक्त पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ और अधिकार होंगे और प्रीमियम प्रामाणिक खोतों के द्वारा भुगतान की जाएगी. हम जानते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, जीवन बीमित के अवयस्क होने की स्थिति में, हमारे द्वारा चुना गया मालिक सिर्फ़ जीवन बीमित के वयस्क होने तक ही मालिक बना रहेगा.

ऊपर चुने गए विकल्प के लिए मृतक प्रस्तावक के सभी श्रेणी - I के कानूनी उत्तराधिकारियों की स्वीकृति

किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी के लिए जो अवयस्क है, उसके संरक्षक को उसकी जगह हस्ताक्षर करना चाहिए. ज्यादा नामों की स्थिति में एक अलग पत्रक संलग्न करें.

पूरा नाम और हस्ताक्षर	जन्म दिनांक	पूरा पता	मृतक प्रस्तावक के साथ संबंध	प्रतिशत % (अभ्यर्पण की स्थिति में स्पष्ट करें)
समय और स्थान				
समय और स्थान				
समय और स्थान				
समय और स्थान				

टिप्पणी : उपर्युक्त प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने वाले, हम लोग एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि सिर्फ़ हम ही मृतक के श्रेणी - I के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और मृतक पॉलिसीधारक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए अधिकृत हैं. हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिया गया विवरण सभी संबंधों में सत्य, पूर्ण और सही है. यदि किसी मामले में कोई भी विवरण गलत/झूठा पाया जाता है, हम कम्पनी को सभी नुकसान, व्यय, शुल्क और खर्च (किसी कानूनी अभियोग में लागत सहित) से हानिरहित रखने का उत्तरदायित्व उठाते हैं जो कम्पनी को उसके परिणामस्वरूप उठाने पड़ सकते हैं या सामने आ सकते हैं.

पैन अद्यतन करना

जुलाई 1, 2011 से प्रभावी, वहाँ पैन नंबर देना अनिवार्य है, जहाँ पॉलिसीधारक एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित ₹ 50,000 या उससे ज्यादा सकल राशि के प्रीमियम का भुगतान करता. प्रीमियम का भुगतान नगद भी हो सकता है या बैंक लेनदेन के माध्यम से भी, यह टॉप-अप की स्थिति में भी लागू है. पॉलिसी धारक जिनके पास पैन नंबर नहीं है वे प्रपत्र 60 या प्रपत्र 61 जमा कर सकते हैं.

पैन क्रमांक

नाम (जैसा पैन कार्ड पर दर्शाया हो) <input type="text"/> अधिवादन <input type="text"/> प्रथम नाम <input type="text"/> उपनाम

जमा प्रलेख : पैन कार्ड की छायाप्रति प्रपत्र 60 प्रपत्र 61

